संख्या-110/2017/1731/26-3-2017-3(03)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 10 जुलाई, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1611/स0क0/शिक्षा-अ/3/6/2017-18, दिनांक 20.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-13-42 में प्राविधान अन्तरिम आय-व्ययक धनराशि रूपया-400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े'' के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार अन्तरिम आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि **रू0-400.00 (रू0-चार करोड़ मात्र)** के सापेक्ष प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) तक धनराशि **रूपया-166.66 लाख (रूपये एक करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**अनुदान संख्या-83** **(धनराशि लाख में)**

| अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम | आय-व्ययक प्राविधान 2017-18 | प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) तक स्वीकृत की जा रही धनराशि 2017-18 |
|---|---|---|
| 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण<br>01-अनुसूचित जातियों का कल्याण<br>789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना<br>13-विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण<br>42-अन्य व्यय | 400.00 | 166.66 |
| **योग-** | **400.00** | **166.66** |

(रूपये एक करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2017-18 में प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाए।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाए।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20 मार्च, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-110/2017/1731(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

4-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

7-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।